

दया याचिका

प्रलिस के लयः

राष्ट्रपति, दया याचिका, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 161, न्यायिक समीक्षा, उच्चतम न्यायालय (SC), क्षमादान शक्ति, मृत्युदंड, वधि आयोग, मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 21, प्रतलिन, वरिण/परहार, दंडादेश का नलिन, लघुकरण, भारतीय न्यायपालिका

मेन्स के लयः

[दया याचिका जारी करना](#)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने एक पाकिस्तानी नागरिक की दया याचिका को अस्वीकार कर दी जिसे वर्ष 2000 में लाल कलि पर हुए आतंकी हमले के लिये मृत्युदंड दिया गया था।

दया याचिका क्या है?

परचयः

- दया याचिका एक औपचारिक अनुरोध है, यह अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति जिसे मृत्युदंड या कारावास की सजा दी गई हो, द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल से दया की मांग करते हुए किया जाता है, जैसा भी मामला हो।
- संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और भारत जैसे कई देशों में दया याचिका के वचिर का पालन किया जाता है।
- सभी को जीवन का अधिकार प्राप्त है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में भी वर्णित किया गया है।

नहित धारणा: भारत में क्षमादान शक्तियों के पीछे धारणा इस मान्यता में नहित है कि कोई भी न्यायिक प्रणाली अचूक नहीं है और संभावित न्यायिक त्रुटियों को सुधार हेतु एक तंत्र की आवश्यकता है।

- न्यायिक त्रुटियों का सुधार: यह सुरक्षा उपाय न्याय की संभावित त्रुटियों के वरिद्ध सुधारात्मक उपाय के रूप में कार्य करता है।
 - उदाहरण के लिये, वर्ष 2012 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 14 न्यायाधीशों ने भारत के राष्ट्रपति को अलग-अलग पत्रों में वर्ष 1990 के दशक के उन मामलों पर प्रकाश डाला, जिनमें न्यायालयों ने 15 व्यक्तियों को अनुचित तरीके से मृत्युदंड दिया था, हालाँकि उनमें से दो व्यक्तियों को बाद में मृत्युदंड दिया गया था।
- सार्वजनिक विश्वास बनाए रखना: क्षमादान शक्ति का मुख्य उद्देश्य आपराधिक न्याय व्यवस्था में सामान्य जन के विश्वास को बनाए रखना है।

संवैधानिक ढाँचा:

- भारत में संवैधानिक ढाँचे के अनुसार, दया याचिका के लिये राष्ट्रपति से अनुरोध करना अंतिम संवैधानिक उपाय है। जब एक दोषी को वधिक न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है तो दोषी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
- इसी प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यों के राज्यपालों को क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 72	अनुच्छेद 161
<ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, उसे रोकने, वरिण देने या कम करने या सजा को नलिबति करने, परहार करने की शक्ति होगी। उन सभी मामलों में जहाँ सजा कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई हो; उन सभी मामलों में जहाँ सजा या किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी 	<ul style="list-style-type: none"> इसके तहत किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिये दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, राहत देने, वरिण या छूट देने या नलिबति करने, परहार करने या लघुकरण शक्ति होगी जिससे राज्य की शक्ति का वसितार होता है। वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी राज्य का

कानून के खिलाफ अपराध के लिये है, जसि पर संघ की कार्यकारी शक्ति का वसितार होता है;

- सभी मामलों में जहाँ मृत्युदंड दिया गया है।

राज्यपाल मृत्युदंड की सजा वाले कैदियों को क्षमा कर सकता है, लेकिन वह न्यूनतम 14 वर्ष कारावास की सजा काट चुका हो।

▪ दया याचिका दायर करने की प्रक्रिया:

- दया याचिकाओं से नपिटने के लिये कोई वैधानिक लिखित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन व्यवहार में न्यायालय में सभी राहतों को समाप्त करने के बाद दोषी व्यक्ति या उसकी ओर से उसका संबंधी राष्ट्रपति को लिखित याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
- राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा याचिकाएँ प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें बाद में गृह मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों और सफ़ारिशों के लिये भेज दिया जाता है।

▪ दया याचिका दायर करने का आधार:

- दया या क्षमादान दोषी सिद्ध व्यक्ति के **स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य**, उसकी पारिवारिक वित्तीय स्थितियों (क्या वह रोजी रोटी का एकमात्र अर्जक है या नहीं) के आधार पर दी जाती है।
 - शत्रुघ्न चौहान [2][2][2] भारत संघ (2014) जैसे मामलों में उच्चतम न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 72 अथवा अनुच्छेद 161 के तहत दया मांगने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है और यह कार्यपालिका के वकिल या इच्छा पर निर्भर नहीं है।

▪ न्यायिक समीक्षा:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों जैसे कमिटराम बनाम भारत संघ, एगूरू सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और केहर सहि बनाम भारत संघ में कहा है कि क्षमादान शक्ति के प्रयोग की न्यायिक समीक्षा संभव है, लेकिन सीमा आधार पर।
- न्यायालय ने क्षमादान शक्ति की **न्यायिक समीक्षा** के लिये निम्नलिखित प्रावधान बताए हैं:
 - शक्तियों का प्रयोग बिना सोचे-समझे किया गया हो,
 - दुरभावनापूर्ण आशय से किया गया हो, या
 - प्रासंगिक सामग्री को विचार से पृथक रखा गया हो।

दया याचिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नरिणय क्या हैं?

- **बचन सहि बनाम पंजाब राज्य:** वर्ष 1980 में, उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड की संवैधानिकता को बरकरार रखा, लेकिन महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी स्थापित किये। न्यायालय ने कहा, "न्यायाधीशों को कभी भी खूनी (Bloodthirsty) नहीं होना चाहिये" और मृत्युदंड "दुर्लभतम मामलों को छोड़कर" नहीं दिया जाना चाहिये, जब वैकल्पिक उपाय निर्विवाद रूप से बंद हो गया हो, और सभी संभावित कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किया गया हो।
 - तब से लेकर अब तक न्यायालय ने कई फैसलों में "मृत्युदंड की सजा मात्र अन्यान्यतम (The Rarest of The Rare)" मानक की पुष्टि की है।
- **मारू राम बनाम भारत संघ (1981):** सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा देने की शक्ति का प्रयोग मंत्रपरिषद की सलाह पर किया जाना चाहिये।
- **केहर सहि बनाम भारत संघ (1989):** सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के दायरे की वसितार पूर्वक जाँच की थी।
 - केहर सहि मामले में, न्यायालय ने कहा कि दोषी को दया याचिका पर मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है।
- **शत्रुघ्न चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014):** इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दया याचिकाओं पर नरिणय लेने में अत्यधिक विलंब के कारण न्यायालय मौत की सजा को कम कर सकते हैं।
- **वधिआयोग की रिपोर्ट:** वर्ष 2015 में प्रकाशित 262वें वधिआयोग की रिपोर्ट में "आतंकवाद से संबंधित अपराधों और युद्ध छेड़ने के अलावा अन्य सभी अपराधों के लिये" मौत की सजा को "पूर्ण रूप से समाप्त" करने की सफ़ारिश की गई थी।

क्षमादान शक्ति के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

क्षमादान शक्ति के प्रकार	विवरण	उदाहरण
क्षमा	यह कानून अपराधी को अपराध से पूरी तरह मुक्त कर देता है, तथा उसकी दोषसिद्धि और उससे संबंधित सभी दण्डों को समाप्त कर देता है।	राष्ट्रपति देशद्रोह के अनुचित आरोप में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा प्रदान करता है।
प्रतिलिंबन	कठोर दण्ड के स्थान पर सामान्य दण्ड दिया जाता है।	राष्ट्रपति मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित करता है।
वरिम/परिहार	सजा की प्रकृति में परिवर्तन किये बगैर उसकी अवधि कम कर दी जाती है।	राज्यपाल दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा में से एक वर्ष की छूट प्रदान करता है।
दंडादेश का निलिंबन	किसी सजा के नषिपादन को अस्थायी रूप से स्थगित कर देता है, सामान्यतः थोड़े समय के लिये।	राष्ट्रपति किसी सजायाफ़ता कैदी को दया याचिका दायर करने के लिये समय देने हेतु छूट प्रदान करते हैं।
लघुकरण	यह वह राहत है, जो अधिक लम्बी अवधि के लिये होती है और प्रायः चकित्सीय कारणों से होती है।	राज्यपाल एक असाध्य रूप से बीमार कैदी को राहत प्रदान करता है ताकि वह अपने अंतिम दिनि घर पर बिता सके।

राष्ट्रपति	राज्यपाल
1. वह केन्द्रीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है।	1. वह राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को वह क्षमादान कर सकता है या दंड को स्थगित कर सकता है।
2. वह सजा-ए-मौत को क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है या स्थगित कर सकता है या बदल सकता है। एकमात्र उसे ही यह अधिकार है कि वह मृत्युदंड की सजा को माफ कर दे।	2. वह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, चाहे किसी को राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली भी हो, तो भी उसे राज्यपाल की बजाए राष्ट्रपति से क्षमा की याचना करनी होगी। लेकिन राज्यपाल इसे स्थगित कर सकता है या पुनर्विचार के लिए कह सकता है।
3. वह कोर्ट मार्शल (सैन्य अदालत) के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा माफ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है।	3. उसे इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है।

//

अन्य देशों के कानून क्या प्रावधान करते हैं?

- **अमेरिका:** अमेरिका का संवधान राष्ट्रपति को महाभियोग के मामलों के अतिरिक्त संघीय कानून के तहत अपराधों के लिये छूट या क्षमा प्रदान करने की समान शक्तियाँ प्रदान करता है। हालाँकि राज्य के कानून के उल्लंघन के मामलों में, यह शक्ति राज्य के संबंधित राज्यपाल को दी गई है।
- **UK:** UK में, संवधानिक प्रमुख, मंत्रसिंहास पर अपराधों के लिये क्षमा या राहत दे सकता है।
- **कनाडा:** आपराधिक रिकॉर्ड अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पेरॉल बोर्ड को ऐसी राहत देने का अधिकार है।

नषिकर्ष

- आगे बढ़ने का मार्ग **संतुलन बनाने में नहि**ति है। पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाले उपाय, जैसे याचिकाओं पर वचिार करने हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश और नरिणय के लिये एक **नशिचति समय-सीमा, जनता का वशिवास बढ़ा** सकते हैं। इसके अतिरिक्त दया याचिका आवेदकों के लिये **कानूनी प्रतनिधित्व** सुनिशिचति करने से प्रकरिया मजबूत होगी।
- अंततः दया याचिका प्रणाली भारतीय न्याय प्रणाली में एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करती है। इसकी वशिषताओं को स्वीकार करके तथा इसकी कमियों को दूर करके, भारत इस **असाधारण शक्ति का अधकि मानवीय और प्रभावी उपयोग** सुनिशिचति कर सकता है।

दृष्टिभेन्स प्रश्न:

प्रश्न. मृत्युदंड के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका के प्रयोग से संबंधित महत्त्व और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तियाँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति शासन अधरीपति करने के लिये रिपौरट भेजना
2. मंत्रियों की नयुिकर्ता करना
3. राज्य वधिानमंडल द्वारा पारति कतपिय वधियकों को, भारत के राष्ट्रपति के वचिार के लिये आरक्षति करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिये नियम बनाना

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

??????

प्रश्न. राज्यपाल द्वारा वधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का वविचन कीजिये। वधायिका के समक्ष रखे बनिा राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यापन की वैधता की वविचना कीजिये। (2022)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/mercy-petition-2>

